

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

49. Consider the following statements :

1. The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of 'Office of Profit'.
2. The above-mentioned Act was amended five times.
3. The term 'Office of Profit' is well-defined in the Constitution of India.

Which of the statements given above is/are correct?


- (a) 1 and 2 only
- (b) 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

2019



Part	Contains	Articles
Part I	Union and its Territory	1 to 4
Part II	Citizenship	5 to 11
Part III	Fundamental Rights	12 to 35
Part IV	Directive Principles of State Policy	36 to 51
Part IVA	Fundamental Duties	51A
Part V	The Union	52 to 151
Part VI	The States	152 to 237
Part VII	States in the B part of the First schedule (repealed by 7 th Amendment)	
Part VIII	The Union Territories	239 to 242
Part IX	The Panchayats	243 to 243O
Part IXA	The Municipalities	243P to 243ZG
Part IXB	The Co-operative Societies	243ZH to 243ZT

Part X	The scheduled and Tribal Areas	244 to 244A
Part XI	Relations between the Union and the States	245 to 263
Part XII	Finance, Property, Contracts and Suits	264 to 300A
Part XIII	Trade and Commerce within the territory of India	301 to 307
Part XIV	Services Under the Union, the States	308 to 323
Part XIVA	Tribunals	323A to 323B
Part XV	Elections	324 to 329A
Part XVI	Special Provisions Relating to certain Classes	330 to 342
Part XVII	Languages	343 to 351
Part XVIII	Emergency Provisions	352 to 360
Part XIX	Miscellaneous	361 to 367
Part XX	Amendment of the Constitution	368
Part XXI	Temporary, Transitional and Special Provisions	369 to 392
Part XXII	Short title, date of commencement, etc.	393 to 395





राजव्यवस्था

संसद भाग 1

संसद का गठन



संसद



राष्ट्रपति

- राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है। (हालांकि, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।)
- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता।
- वह दोनों सदनों का सत्र आहूत व सत्रावसान करता है।
- लोक सभा को विघटित कर सकता है।
- दोनों सदनों को संबोधित करता है।
- अध्यादेश जारी करता है।



लोक सभा

- इसे निम्न सदन (फर्स्ट चैम्बर या पोपुलर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल) भी कहा जाता है।
- यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।



राज्य सभा

- इसे उच्च सदन (सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट) भी कहा जाता है।
- संसद में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

दोनों सदनों की संरचना



नोट: 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लोक सभा और विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीयों को नामित करने के प्रावधान का विस्तार नहीं करता है।



1. लोक सभा की निर्वाचन प्रणाली

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

संविधान दो प्रकार से प्रतिनिधित्व की एकरूपता सुनिश्चित करता है:

1. विभिन्न राज्यों के बीच।

2. उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच।

नोट: यह प्रावधान 60 लाख से कम आबादी वाले राज्य पर लागू नहीं होता है।

प्रत्येक जनगणना के उपरांत पुनः समायोजन

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर निम्नलिखित के लिए पुनः समायोजन (readjustment) किया जाता है:

- राज्यों को लोक सभा में सीटों का आवंटन।

- प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन।

संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति (परिसीमन आयोग) का निर्धारण करे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा 25 जनवरी 2020 तक (जो वर्ष 2020 में समाप्त हो रहा था) तक बढ़ा दिया गया है।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम

संविधान ने:

- लोक सभा के चुनावों के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम) को अपनाया है।

दोनों सदनों की अवधि



लोक सभा

- यह स्थाई संस्था नहीं है, इसके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है।
- राष्ट्रपति समय से पूर्व लोक सभा को विघटित कर सकता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- आपात स्थिति में अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- विस्तार किसी भी स्थिति में आपातकाल समाप्त होने के उपरांत 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता।



राज्य सभा

- यह एक स्थायी संस्था है। इसका विघटन नहीं होता।
- इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष (पुनः निर्वाचन और पुनः मनोनयन के लिए पात्र) सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- सदस्यों की पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इसे संसद पर छोड़ दिया गया है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत इनकी पदावधि 6 वर्ष तक है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राष्ट्रपति को सदस्यों की पदावधि में कटौती करने का अधिकार देता है।

संसद के सत्र



आहूत करना (Summoning या सभा में हाजिर होने का आदेश)

- राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है।
- संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
- सामान्यतः वर्ष में तीन सत्र होते हैं।
- बजट सत्र (फरवरी से मई);
- मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर); तथा
- शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।
- संसद का 'सत्र (Session)' प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि है।
- अवकाश (Recess): एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं।

स्थगन (Adjournment)

सदन की बैठक या बैठक से जुड़े कार्य को कुछ निश्चित समय (जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है) के लिए निलंबित किया जाना 'स्थगन' कहलाता है।

- यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die)

- इसके अंतर्गत सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है।
- इसमें सदन को यह बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आरंभ या आहूत किया जाएगा।
- यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- यह किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित नहीं करता है।

सत्रावसान (Prorogation)

- सदन की बैठक और सत्र को समाप्त करना 'सत्रावसान' कहलाता है।
- इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- यह भी किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित नहीं करता है।
- सभी लंबित नोटिस सत्रावसान पर लैप्स या व्यपगत हो जाते हैं और अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है।

विघटन (Dissolution)

- विघटन मौजूदा सदन की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है।
- केवल लोक सभा का ही विघटन होता है।
- लोक सभा दो कारणों से विघटित होती है:
- स्वतः विघटन**— जब इसका पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए; तथा
- जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले।
- विघटन के निर्णय के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता है।
- जब लोक सभा विघटित होती है तो लोक सभा या उसकी समितियों के समक्ष लंबित विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि सहित सभी कार्य समाप्त अर्थात् व्यपगत (लैप्स) हो जाते हैं।

सत्र का समापन

विधेयकों की 4 श्रेणियाँ



साधारण विधेयक

वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक।

धन विधेयक

करारोपण, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित।



वित्त विधेयक

वित्तीय मामलों से संबंधित (लेकिन धन विधेयकों से अलग है)।

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित।



2. राज्य सभा की लोक सभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं ?

- (a) नई अखिल भारतीय सेवाएँ गठित करने के विषय में
- (b) संविधान में संशोधन करने के विषय में
- (c) सरकार को हटाने के विषय में
- (d) कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में

2. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in

- (a) the matter of creating new All India Services
- (b) amending the Constitution
- (c) the removal of the government
- (d) making cut motions

2020

14. विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक 'उपयोगहीन स्टैपनी टायर' से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोचित कीजिये जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

2020

Rajya Sabha has been transformed from a 'useless stepney tyre' to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. (Answer in 250 words)

15. निम्नलिखित में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं ?

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

2022

15. Which of the following is/are the exclusive power(s) of Lok Sabha ?

1. To ratify the declaration of Emergency
2. To pass a motion of no-confidence against the Council of Ministers
3. To impeach the President of India

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 and 2
- (b) 2 only
- (c) 1 and 3
- (d) 3 only

